**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1371**

**09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर**

**1371. श्री गौरव गोगोई:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों और नियमित रूप से गर्भावस्था संबंधी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर रही है, क्योंकि लगभग 16 प्रतिशत भारतीय महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत बजटीय व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत वर्ष 2016 से अब तक लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)**

(क): वर्ष 2018-20 में भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 97 है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एमएमआर का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

इसी प्रकार, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) 2020 के नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार, भारत की मृत जन्म दर (एसबीआर) प्रति 1000 कुल जन्मों पर 3 है और भारत की नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) प्रति

1000 जीवित जन्मों पर 20 है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रोंके अनुसार एसबीआर और एनएमआर को क्रमशः अनुलग्नक II और अनुलग्नक III में रखा गया है।

(ख): भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में गर्भवती महिलाओं के लिए जागरूकता पैदा करने और नियमित स्वास्थ्य जांच शिविरों के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कदम कार्यान्वित किए हैं

- भारत सरकार ने गर्भावस्था के दूसरी/तीसरी तिमाही में सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से प्रत्येक महीने के 9वें दिन निश्चित-दिवसीय, नि:शुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य से **"प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" (पीएमएसएमए)** शुरूआत की ।
- गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था (एचआरपी) वाली महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण एएनसी सुनिश्चित करने और चिह्नित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से सुरक्षित प्रसव प्राप्त हो जाने तक व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग सुनिश्चित करने और पीएमएसएमए यात्रा के अलावा अतिरिक्त 3 यात्राओं के लिए आशा कर्मी को संलग्न करने हेतु **विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति** शुरू की गई थी
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु के लिए नि:शुल्क सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और सेवाओं से इनकार के प्रति शुन्य सहिष्णुता अपनाना है ।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** प्रत्येक गर्भवती महिला को निशुल्क परिवहन, निदान, दवाओं, अन्य उपभोग्य वस्तुओं, आहार और रक्त (यदि आवश्यक हो) के प्रावधान के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सीजेरियन ऑपरेशन सहित निशुल्क प्रसव का अधिकार देता है। उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचने वाले सभी रुग्ण शिशुओं के लिए समान अधिकार रखे गए हैं ।
- **लक्ष्य (गुणवत्ता सुधार पहल)** - भारत सरकार ने प्रसव कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थिएटरों में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार के लिए वर्ष 2011 में लक्ष्य कार्यक्रम शुरू किया।
- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** आईसीडीएस के साथ अभिसरण में पोषण सहित मातृ और शिशु परिचर्या के प्रावधान के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में एक आउटरीच क्रियाकलाप है।
- विशेष रूप से जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए **ग्रामीण क्षेत्रों में आउटरीच शिविरों** का भी प्रावधान किया गया है। इस प्लेटफार्म का उपयोग मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक सहभागिता के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले गर्भधारण को ट्रैक करने हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

- **स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र** - एचडब्ल्यूसी टीम आवधिक आधार पर शिविरों का आयोजन करती है, सीमांत जनसंख्या तक पहुंचती है । उपचार संबंधी अनुपालन का सहयोग करती हैं और गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं आदि के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करती हैं।
- **एमसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका** गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेतों योजनाओं के लाभ और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए वितरित की जाती है।
- **आईईसी/बीसीसी अभियान**: मातृ स्वास्थ्य के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी), अंतर-व्यक्तिगत संचार (आईपीसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियों के माध्यम से मांग उत्पन्न करना है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत बजटीय व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

(घ): 2016 में इसके प्रारंभ से अब तक सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएसएमए कार्यक्रम के अंतर्गत **4.72 करोड़ से अधिक** गर्भवती महिलाओं को व्यापक एएनसी प्राप्त हुआ है। वर्ष 2016 से पीएमएसएमए के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या अनुलग्नक-V में दी गई है।

*****

अनुलग्नक- I

| मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमएमआर): भारत और राज्य | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य का नाम** | **2014-16** | **2015-17** | **2016-18** | **2017-19** | **2018-20** |
| **भारत** | 130 | 122 | 113 | 103 | 97 |
| असम | 237 | 229 | 215 | 205 | 195 |
| बिहार | 165 | 165 | 149 | 130 | 118 |
| झारखंड | उपलब्ध नहीं | 76 | 71 | 61 | 56 |
| मध्य प्रदेश | 173 | 188 | 173 | 163 | 173 |
| छत्तीसगढ़ | उपलब्ध नहीं | 141 | 159 | 160 | 137 |
| ओडिशा | 180 | 168 | 150 | 136 | 119 |
| राजस्थान | 199 | 186 | 164 | 141 | 113 |
| उत्तर प्रदेश | 201 | 216 | 197 | 167 | 167 |
| उत्तराखंड | उपलब्ध नहीं | 89 | 99 | 101 | 103 |
| आंध्र प्रदेश | 74 | 74 | 65 | 58 | 45 |
| तेलंगाना | 81 | 76 | 63 | 56 | 43 |
| कर्नाटक | 108 | 97 | 92 | 83 | 69 |
| केरल | 46 | 42 | 43 | 30 | 19 |
| तमिलनाडु | 66 | 63 | 60 | 58 | 54 |
| गुजरात | 91 | 87 | 75 | 70 | 57 |
| हरियाणा | 101 | 98 | 91 | 96 | 110 |
| महाराष्ट्र | 61 | 55 | 46 | 38 | 33 |
| पंजाब | 122 | 122 | 129 | 114 | 105 |
| पश्चिम बंगाल | 101 | 94 | 98 | 109 | 103 |

(स्रोत: भारत के महापंजीयक (आरजीआई): एमएमआर पर विशेष बुलेटिन। आरजीआई ने ईएजी और असम, दक्षिण और अन्य राज्यों सहित प्रमुख राज्यों के लिए एमएमआर जारी किया)

अनुलग्नक-II

| भारत और बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मृत जन्म जन्म दर की स्थिति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **भारत** | **4** | **5** | **4** | **3** | **3** |
| आंध्र प्रदेश | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| असम | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| बिहार | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| छत्तीसगढ़ | 10 | 13 | 9 | 9 | 6 |
| दिल्ली | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| गुजरात | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| हरियाणा | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| हिमाचल प्रदेश | 24 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| जम्मू और कश्मीर | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| झारखंड | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| कर्नाटक | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| केरल | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| मध्य प्रदेश | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| महाराष्ट्र | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| ओडिशा | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 |
| पंजाब | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| राजस्थान | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| तमिलनाडु | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| तेलंगाना | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| उत्तर प्रदेश | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| उत्तराखंड | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| पश्चिम बंगाल | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| **स्रोत:** भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली। आरजीआई ने एसबीआर केवल भारत और बड़े राज्यों के लिए जारी किया। | | | | | |

अनुलग्नक-III

| भारत और बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नवजात मृत्यु दर(एनएमआर) की स्थिति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **भारत** | **24** | **23** | **23** | **22** | **20** |
| आंध्र प्रदेश | 23 | 23 | 21 | 18 | 17 |
| असम | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| बिहार | 27 | 28 | 25 | 23 | 21 |
| छत्तीसगढ़ | 26 | 26 | 29 | 28 | 26 |
| दिल्ली | 12 | 14 | 10 | 8 | 9 |
| गुजरात | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| हरियाणा | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 |
| हिमाचल प्रदेश | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| जम्मू और कश्मीर | 18 | 17 | 17 | 15 | 12 |
| झारखंड | 21 | 20 | 21 | 19 | 17 |
| कर्नाटक | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 |
| केरल | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| मध्य प्रदेश | 32 | 33 | 35 | 33 | 31 |
| महाराष्ट्र | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| ओडिशा | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
| पंजाब | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| राजस्थान | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 |
| तमिलनाडु | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| तेलंगाना | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 |
| उत्तर प्रदेश | 30 | 30 | 32 | 30 | 28 |
| उत्तराखंड | 30 | 24 | 22 | 19 | 17 |
| पश्चिम बंगाल | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 |

**स्रोत:** भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली। आरजीआई ने एनएमआर केवल भारत और बड़े राज्यों के लिए जारी किया।

**अनुलग्नक - IV**

**वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24** तक एनएचएम के तहत आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) गतिविधियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार व्यय

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | व्यय | व्यय | व्यय | व्यय | व्यय |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.19 | 0.11 | 0.38 | 1.13 | 0.10 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | 26.00 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 2.63 | 11.78 | 10.70 | 99.23 | एनआर |
| 4 | असम | 31.34 | 28.89 | 32.40 | 51.34 | 45.70 |
| 5 | बिहार | 533.31 | 263.06 | 419.00 | 597.09 | 343.64 |
| 6 | चंडीगढ़ | 2.04 | 1.55 | 1.65 | 0.82 | 1.95 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | एनआर | 1.63 | 1.51 | 395.40 | 154.53 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 0.55 | 0.30 | एनआर | एनआर | एनआर |
| | दमन और दीव | एनआर | | | | |
| 9 | दिल्ली | 3.96 | 1.02 | 0.41 | 4.78 | 6.56 |
| 10 | गोवा | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.61 | 0.07 |
| 11 | गुजरात | 39.32 | 39.45 | 28.04 | 445.52 | 501.74 |
| 12 | हरियाणा | 28.53 | 24.49 | 30.44 | 23.03 | 22.41 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | एनआर | एनआर | 23.46 | 32.62 | 25.58 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर* | 2.15 | 1.69 | 0.83 | 1.94 | 0.15 |
| 15 | झारखंड | 96.23 | 93.85 | 85.10 | 559.31 | 205.98 |
| 16 | कर्नाटक | 28.16 | 14.61 | 18.08 | 11.82 | 8.78 |
| 17 | केरल | 8.60 | 2.43 | 0.95 | 19.54 | 23.24 |
| 18 | लद्दाख* | एनआर | 1.46 | 0.92 | 1.30 | 0.65 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.01 | 0.18 | 0.22 | 0.05 | 0.02 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 6.16 | 0.61 | 23.12 | 551.12 | 155.92 |
| 21 | महाराष्ट्र | 21.85 | 11.65 | 11.24 | 7.35 | 126.84 |
| 22 | मणिपुर | 20.12 | 10.42 | 5.29 | 14.80 | 2.83 |
| 23 | मेघालय | 8.90 | 5.70 | 3.56 | 38.94 | 6.29 |
| 24 | मिजोरम | 2.61 | 7.05 | 4.60 | 5.95 | एनआर |
| 25 | नागालैंड | एनआर | एनआर | 1.12 | 5.92 | 3.76 |
| 26 | ओडिशा | 12.60 | 14.58 | 12.95 | 202.96 | 250.04 |
| 27 | पुडुचेरी | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | 0.14 |
| 28 | पंजाब | 16.46 | 3.86 | 1.82 | 38.43 | 103.58 |
| 29 | राजस्थान | 22.50 | 21.30 | 54.25 | 75.47 | 7.37 |
| 30 | सिक्किम | 1.12 | एनआर | 0.48 | 1.62 | 0.50 |
| 31 | तमिलनाडु | 1.23 | 1.13 | 0.68 | एनआर | एनआर |
| 32 | तेलंगाना | 1.89 | 1.79 | 1.03 | 2.52 | 2.07 |
| 33 | त्रिपुरा | 2.21 | 2.97 | 11.80 | 29.17 | 18.56 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 31.44 | 44.66 | 34.21 | 721.25 | 149.09 |
| 35 | उत्तराखंड | एनआर | 2.79 | 3.20 | 39.40 | 14.36 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 46.46 | 20.29 | 112.21 | 220.66 | 42.28 |

नोट:-

1. एनआर=रिपोर्ट नहीं किए गए।
2. *=जम्मू और कश्मीर राज्य के संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के पुनर्गठन के बाद, 2020-21 के दौरान पहली बार संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को एनएचएम फंड वितरित किए गए थे।
3. उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार हैं।
4. व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है। आरसीएच आदि के लिए लचीला पूल के संबंध में व्यय अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (30.11.2023 तक अद्यतन), चंडीगढ़, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा (31.10.2023 तक अद्यतन), लक्षद्वीप (30.09.2023 तक अद्यतन) को छोड़कर 31.12.2023 तक अपडेट किया गया है और अनंतिम हैं।

अनुलग्नक-V

# पीएमएसएमए के तहत प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 (जनवरी तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **भारत** | 4767073 | 7162949 | 6965744 | 5470646 | 3187042 | 4746317 | 7300865 | 8212687 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 4286 | 4574 | 3453 | 3051 | 3232 | 3021 |
| आंध्र प्रदेश | 268883 | 519483 | 326924 | 467269 | 271721 | 461175 | 905718 | 786604 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1256 | 4410 | 3534 | 4648 | 3385 | 4890 | 3308 | 2155 |
| असम | 112785 | 118694 | 77099 | 61162 | 20152 | 33616 | 59530 | 51170 |
| बिहार | 252562 | 799974 | 916857 | 746382 | 493879 | 536687 | 795810 | 729616 |
| चंडीगढ़ | 2610 | 5838 | 8211 | 8252 | 6237 | 6523 | 7953 | 7318 |
| छत्तीसगढ़ | 247943 | 255897 | 225547 | 188651 | 35519 | 82724 | 267034 | 271938 |
| दादरा और नगर हवेली | 6169 | 3998 | 5693 | 0 | 0 | 4705 | 6531 | 4293 |
| दमन और दीव | 2921 | 6314 | 7551 | 0 | 0 | 3936 | 20817 | 16009 |
| दिल्ली | 40116 | 99063 | 95002 | 86550 | 31077 | 44419 | 51836 | 53049 |
| गोवा | 2884 | 8014 | 7945 | 8696 | 5255 | 2837 | 5996 | 16536 |
| गुजरात | 561449 | 495435 | 380308 | 200674 | 164660 | 228471 | 253726 | 253307 |
| हरियाणा | 119644 | 172543 | 200443 | 256619 | 171961 | 238135 | 335462 | 349624 |
| हिमाचल प्रदेश | 53787 | 63676 | 60190 | 38024 | 30647 | 55105 | 56167 | 53409 |
| जम्मू और कश्मीर | 42504 | 53206 | 56921 | 34993 | 9584 | 29154 | 58210 | 60175 |
| झारखंड | 76504 | 169259 | 159256 | 174815 | 100701 | 97995 | 147590 | 135696 |
| कर्नाटक | 226730 | 497246 | 481696 | 204286 | 67202 | 40316 | 223773 | 474832 |
| केरल | 5959 | 8747 | 9756 | 7989 | 2591 | 2907 | 3364 | 3247 |
| लक्षद्वीप | 0 | 111 | 1592 | 1345 | 819 | 893 | 812 | 560 |
| मध्य प्रदेश | 473275 | 828820 | 850528 | 555042 | 981 | 530595 | 199503 | 295081 |
| महाराष्ट्र | 783815 | 824309 | 703653 | 302233 | 72585 | 73282 | 290999 | 233160 |
| मणिपुर | 7584 | 13479 | 12975 | 12416 | 2265 | 4060 | 9432 | 6257 |
| मेघालय | 11884 | 20766 | 14486 | 6202 | 553 | 3620 | 58828 | 55490 |
| मिजोरम | 8099 | 7176 | 4838 | 3802 | 8951 | 6782 | 7052 | 5500 |
| नागालैंड | 836 | 2320 | 1198 | 3762 | 1948 | 2285 | 2872 | 1970 |
| ओडिशा | 77160 | 182178 | 208236 | 191197 | 75760 | 140797 | 267153 | 324417 |
| पुडुचेरी | 3175 | 2730 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 974* | 2135* |
| पंजाब | 72567 | 129598 | 113963 | 109031 | 53295 | 69523 | 114964 | 156416 |
| राजस्थान | 522227 | 748673 | 644180 | 239256 | 148291 | 149393 | 516744 | 386836 |
| सिक्किम | 431 | 2166 | 1888 | 419 | 767 | 950 | 1236 | 686 |
| तमिलनाडु | 338647 | 362981 | 367175 | 355815 | 305238 | 345227 | 325369 | 308049 |
| तेलंगाना | 78818 | 137517 | 192583 | 223932 | 214756 | 248395 | 285672 | 241447 |
| त्रिपुरा | 1520 | 4386 | 5330 | 2771 | 1985 | 19553 | 21949 | 24831 |
| उत्तर प्रदेश | 296827 | 512305 | 715717 | 875170 | 837508 | 1135605 | 1680529 | 2546417 |
| उत्तराखंड | 18808 | 18617 | 18742 | 10922 | 11588 | 23702 | 27871 | 22035 |
| पश्चिम बंगाल | 46694 | 83020 | 79780 | 83747 | 31728 | 115009 | 283823 | 331536 |

संघ राज्य क्षेत्र-पुडुचेरी से प्राप्त वास्तविक रिपोर्ट के अनुसार

******